मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2007 (अग्रहायण 7, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2007-2008 की पहली छःमाही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण,

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) वित्त लेखे वर्ष 2006-2007, तथा

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2006-2007,

(ग) मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 14 सन् 1991) की धारा 8 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-8-2006-43-बीस सूत्र, दिनांक 1 अगस्त, 2007, एवं

(घ) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का उन्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-2004, पटल पर रखेंगे.

(3) श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री -

(क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणियां), तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-2002, पटल पर रखेंगे.

(4) श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री अन्तर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री -

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा.क्र.6-10-06-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 24 सितम्बर, 2007, तथा

(ख) परिसीमन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 33 सन् 2002) की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, भारत परिसीमन आयोग मध्यप्रदेश राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए आदेश संख्या 38, दिनांक 19 जनवरी, 2007 तथा विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग की अधिसूचना फा.क्र.22-वि.निर्वा.-2007-चार-53, दिनांक 14 मई, 2007, पटल पर रखेंगे.

(6) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006, पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री उम्मेद सिंह बना, गजराज सिंह सिकरवार, लाल सिंह आर्य, सदस्य, चम्बल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु नहरों से पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, रीवा जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 201, कसरावद से निर्वाचित सदस्य, श्री सुभाष यादव को विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री इन्द्रजीत कुमार, सभापति, लोक लेखा समिति का 364वां से 387वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 24 सन् 2007) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 26 सन् 2007) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

7. वर्ष 2007-2008 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 55, 56, 64, 66, 67, 75, 77, 79, तथा 80 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निर्मित राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार एक सौ चौवालीस करोड़, इकतीस लाख, चौवन हजार, एक सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

2 घन्टे

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2007 (क्रमांक 25 सन् 2007) का *पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2007 (क्रमांक 24 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (3) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 26 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 27 नवम्बर, 2007

*** अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .**